रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 24, 1989/कार्तिक 2, 1911
No. 553] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 1989/KARTIKA 2, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1989

सा.का.नि. 911 (अ) :– राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयुक्तों (मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भिन्न) की सेवा की शर्तों और पदावधि का विनियमन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1989 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वेतन :– निर्वाचन आयुक्त को आठ हजार रुपए प्रति मास की दर से वेतन का संदाय किया जाएगा :

परन्तु यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण करने की तारीख से ठीक पूर्व, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहा था या ऐसा करने का पात्र है, उसे लेने का निर्वाचन करता है तो निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवा की बाबत उसके वेतन में से निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा :–

(क) उस पेंशन की रकम, और

(ख) यदि उसने, पद ग्रहण करने के पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में अपने को देय पेंशन के एक भाग के बदले उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया था तो, पेंशन के उस भाग की रकम ।

3 पदावधि :– निर्वाचन आयुक्त उस तारीख से जिसको वह ऐसा पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि तक या उस समय तक जब वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा :

परन्तु वह, किसी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

स्पष्टीकरण :– यह नियम ऐसे व्यक्ति को भी लागू होगा जो, इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व, निर्वाचन आयुक्त का पद धारण कर रहा है और उसके संबंध में, पांच वर्ष की अवधि की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको उसने ऐसा पद ग्रहण किया था ।

4 छुट्टी :– (1) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व, सरकार की सेवा में था, उसकी पदावधि के दौरान किन्तु उसके पश्चात नहीं, ऐसी सेवा को जिसका वह ऐसी तारीख के पूर्व है, तत्समय लागू नियमों के अनुसार छुट्टी अनुदत्त की जा सकेगी । निर्वाचन आयुक्त के रूप में उसकी सेवा को, इन नियमों के प्रयोजन के लिए, ऐसी सेवा में जिसका वह है, छुट्टी के लिए गणना करने में निरंतर सेवा के रूप में माना जाएगा ।

(2) ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, उसकी पदावधि के दौरान किन्तु उसके पश्चात नहीं, ऐसे नियमों के अनुसार जो तत्समय भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को लागू है, छुट्टी अनुदत्त की जा सकेगी ।

(3) किसी निर्वाचन आयुक्त को छुट्टी अनुदत्त करने या अस्वीकार करने और उसको अनुदत्त छुट्टी को प्रतिसंहृत या कम करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी ।

5 पेंशन और उपदान :– (1) वह व्यक्ति जो, निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण करने के ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, अपने विकल्प पर, जिसका प्रयोग निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण करने की तारीख से छह मास के भीतर किया जाएगा, ऐसी तारीख से उस सेवा को जिसका वह है, लागू होने वाले नियमों के अधीन अपनी पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति फायदे प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु ऐसी दशा में निर्वाचन आयुक्त के रूप में उसका वेतन, सकल पेंशन के समतुल्य राशि तक (जिसके अंतर्गत पेंशन का वह भाग है जो सराशीकृत कर दिया गया है) कम कर दिया जाएगा और वह निर्वाचन आयुक्त के रूप में की गई सेवा के लिए पेंशन का भी हकदार होगा जैसा कि उपनियम (3) में उपबंधित है ।

(2) वह व्यक्ति, जो निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण करने के ठीक पूर्व सरकार की सेवा में था, यदि वह उपनियम (1) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो वह ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व जिस सेवा का था उसे लागू होने वाले नियमों के अधीन पेंशन और सेवा निवृत्ति फायदे के लिए निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपनी सेवा संगणित करने का हकदार होगा ।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस व्यक्ति को, जो निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण करने के ठीक पूर्व सरकार की सेवा में नहीं था, निर्वाचन आयुक्त का पद धारण करने में प्रवरित हो जाने पर (चाहे पदावधि समाप्त हो जाने पर या पद त्याग के परिणाम स्वरूप) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दर पर पेंशन का संदाय किया जाएगा :

परन्तु ऐसी पेंशन किसी भी व्यक्ति को–

(क) तब तक सदय नहीं होगी जब तक उसने पेंशन के लिए निर्वाचन आयुक्त के रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा न पूरी कर ली हो ; या

(ख) उस दशा में संदेय नहीं होगी जब उसे निर्वाचन आयुक्त के पद से हटा दिया गया है ।

स्पष्टीकरण :– उपनियम (4) के स्पष्टीकरण 2 के अधीन रहते हुए, इस उपनियम के अधीन किसी व्यक्ति का संदेय पेंशन, यदि वह पहले से ही कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है, ऐसी अन्य पेंशन के अतिरिक्त होगी ।

(4) उपनियम (3) के अधीन संदेय पेंशन :–

(क) उस व्यक्ति की दशा में जिसने निर्वाचन आयुक्त के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है आठ हजार चार सौ रुपए प्रति वर्ष होगी , और

(ख) उस व्यक्ति की दशा में जिसने निर्वाचन आयुक्त के रूप में तीन वर्ष या उससे अधिक, किन्तु पांच वर्ष से कम सेवा की है, वह रकम होगी जो पेंशन के लिए पूरे किए गए सेवा के वर्षों को, खंड (क) के अधीन अधिकतम अनुज्ञेय पेंशन की रकम से गुणा करके और उसको पांच से भाग देकर, संगणित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण :– (1) निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसी व्यक्ति की सेवा की अवधि की संगणना , पूरे किए गए वर्षों के अनुसार की जाएगी किन्तु यदि की गई सेवा का अतिशेष छह मास या अधिक है तो आधे वर्ष का अतिरिक्त फायदा अनुज्ञात किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2 :– ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस नियम के अधीन पेंशन मंजूर की जाती है, पेंशन में क्रमोन्नत अनुतोष का उस दर पर हकदार होगा जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू होती है । पेंशन की रकम, जिसके अंतर्गत पेंशन की वह रकम, यदि कोई हो, है जो वह पहले से ही प्राप्त कर रहा है, तथा पेंशन में क्रमोन्नत अनुतोष, जो निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवा कर चुके व्यक्ति को मंजूर किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर समतुल्य श्रेणी के अधिकारी के लिए नियत अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा ।

(5) उस व्यक्ति को, जो निर्वाचन आयुक्त का पद धारण कर चुका है उक्त पद छोड़ने पर, निर्वाचन आयुक्त के रूप में प्रत्येक पूरी की गई छह मास की अवधि के लिए उसकी मासिक उपलब्धियों की एक चौथाई की दर से उपदान संदत्त किया जाएगा, किन्तु यह पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगा जिसके अंतर्गत उपदान की वह रकम, यदि कोई हो, है जो वह सरकार के अधीन सेवा से निवृत्ति पर पहले ही प्राप्त कर चुका है ।

(6) उपनियम (5) के अधीन अनुज्ञेय उपदान के प्रयोजनों के लिए उपलब्धियां, आठ हजार रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं होंगी और उनकी संगणना केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 33 के अनुसार की जाएगी ।

6 पेंशन का संराशीकरण :— तत्समय प्रवृत्त सिविल सेवा पेंशन (संराशीकरण) नियम ऐसे अनुकूलनों सहित, जो राष्ट्रपति द्वारा उनमें किए जाएं, ऐसे व्यक्ति को लागू होंगे, जिसने निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद धारण किया है ।

7. भविष्य निधि—निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदधारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) को अभिदाय करने का हकदार होगा :

परन्तु निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदधारण करने वाला ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है या जिसने सरकार के अधीन कोई अन्य पेंशनी सिविल पद धारण किया है, ऐसी भविष्य निधि में अभिदाय करता रहेगा, जिसमें निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपनी नियुक्ति के पूर्व वह अभिदाय करता था ।

8. सेवा की अन्य शर्तें :—नियमों में अभिव्यक्त रूप में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति की अन्य सेवा की शर्तें ,जिसके अंतर्गत भारत के बाहर कर्तव्य की किसी अवधि के दौरान उसकी उपलब्धियां और कर्तव्य, पर यात्रा करने समय उसका यात्रा-भत्ता है, केन्द्रीय सरकार के किसी सचिव की पंक्ति धारण करने वाले उस सरकार के किसी अधिकारी को तत्समय लागू नियमों द्वारा अवधारित की जाएंगी :

परन्तु इस नियम की किसी भी बात का ऐसा प्रभाव नहीं होगा जिससे किसी व्यक्ति को, जो निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद-ग्रहण करने की तारीख के ठीक पूर्व, सरकार की सेवा में था, पूर्वोक्त मामलों में से किसी के बारे में, उनसे कम अनुकूल निबंधन प्राप्त हों, जिनका वह उस सेवा के, जिसका वह था, सदस्य के रूप में हकदार होता, जब कि निर्वाचन आयुक्त के रूप में उसकी सेवा इस परन्तुक के प्रयोजनों के लिए उस सेवा में जिस सेवा में का वह था, निरंतर सेवा के रूप में मानी जाती ।

9. आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 3 में किसी बात के होते हुए भी, जहां उस पद पर आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वहां ऐसी रिक्ति कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की पदावधि, ऐसी अवधि होगी (जो उस तारीख से परे की नहीं होगी जिसको वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है) जो उसके नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसे किसी व्यक्ति की सेवा की अन्य शर्तें, जहां तक हो सके, वही होंगी जो इन नियमों में उपबंधित हैं।

[सं. ए.11013/7/89-प्रशा. I (विधि)]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 24th October, 1989

G.S.R. 911(E) :—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 324 of the Constitution, the President is pleased to make the following rules for regulating the conditions of service and tenure of office of the Election Commissioners (other than the Chief Election Commissioner), namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Election Commissioners' (Conditions of Service) Rules, 1989

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Salary.—There shall be paid to an Election Commissioner a salary at the rate of eight thousand rupees per mensem:

Provided that if a person who, immediately before the date of assuming office as an Election Commissioner, was in receipt of, or being eligible so to do, had elected to draw, a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of service as an Election Commissioner shall be reduced:

(a) by the amount of that pension; and

(b) if he had, before assuming office, received, in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such previous service, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension.

3. Term of office.—An Election Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he assumes such office or until he attains the age of sixty-five years, whichever happens earlier.

Provided that he may, at any time, by writing under his hand, addressed to the President, resign his office.

Explanation.—This rule shall also apply to a person holding office, immediately before the commencement of these rules, as an Election Commissioner and, in relation to him, the term of five years shall be computed from the date on which he had assumed such office.

4. Leave.—(1) A person, who, immediately before the date of assuming office as an Election Commissioner, was in the service of the Government, may be granted during his tenure of office, but not thereafter, leave in accordance with the rules for the time being applicable to the Service to which he belonged before such date his service as a Election Commissioner being treated for the purpose of these rules as continuing service counting for leave in the Service to which he belonged.

(2) Any other person who is appointed as an Election Commissioner may be granted, during his tenure of office, but not thereafter leave in accordance with such rules as are for the time being applicable to the members of the Indian Administrative Service.

(3) The power to grant or refuse leave to an Election Commissioner and to revoke or curtail leave granted to him shall vest in the President.

5. Pension and gratuity.—(1) A person, who, immediately before assuming office as an Election Commissioner was in the service of the Government, shall, at his option to be exercised within a period of six months from the date of his assumption of office as an Election Commissioner, be entitled to draw his pension and other retirement benefits under the rules applicable to the Service to which he belonged with effect from such date :

Provided that, in such an event, his pay as an Election Commissioner shall be reduced by an amount equivalent to the gross pension (including any portion of the pension which may have been commuted) and he shall also be entitled to pension for the service rendered as an Election Commissioner as provided in sub-rule (3).

(2) A person who immediately before assuming office as an Election Commissioner, was in the service of the Government, shall, if he does not exercise the option mentioned in sub-rule (1), be entitled to count his service as an Election Commissioner for pension and retirement benefits under the rules applicable to the Service to which he belonged immediately before such appointment.

(3) Subject to the provisions of sub-rules (1) and (2), a person who, immediately before assuming office as an Election Commissioner, was not in the service of the Government, shall, on his ceasing to hold office as an Election Commissioner, be paid (whether on the expiry of term or as a result of resignation) a pension at the rates specified in sub-rule (4) :

Provided that no such pension shall be payable to a person—

(a) unless he has completed not less than three years of service for pension as an Election Commissioner; or

(b) if he has been removed from the office of an Election Commissioner.

Explanation.— Subject to *Explanation* II to sub-rule (4), the pension payable to any person under this sub-rule shall, if he is already in receipt of any other pension, be in addition to such other pension.

(4) The pension payable under sub-rule (3) shall:—

(a) in the case of a person who has completed five years of service as an Election Commissioner, be an amount of rupees eight thousands four hundred per annum; and

(b) in the case of a person who has rendered service as an Election Commissioner for a period of three years or more but less than five years, be an amount calculated by multiplying the completed years of service for pension by the amount of the maximum pension admssible under clause (a) and shall be divided by five.

Explanation I.—The duration of service of a person as an Election Commissioner shall be computed in terms of completed years; but if the balance of service rendered is six months or more, additional benefit of half a year pension may be allowed.

Explanation II.—Every person who is sanctioned pension under this rule shall be eligible for graded relief in pension at the rates applicable to Central Government officers from time to time. The amount of pension, including the pension, if any, which he is already in receipt of, plus the graded relief in pension, granted to a person who has served as an Election Commissioner shall not, however, exceed the over-all ceiling fixed by the Central Government for an officer of equivalent grade from time to time.

(5) A person who has held the office of an Election Commissioner shall, on demitting the said office, be paid a gratuity at the rate of one-fourth of his monthly emoluments for each completed six monthly periods of service as an Election Commissioner, subject to a maximum of rupees fifty thousnd including the amount, if any, of gratuity already received by him on retirement from service under the Government.

(6) For the purposes of gratuity admissible under sub-rule(5), emoluments shall be subject to a maximum of eight thousand rupees per mensem, and shall be reckoned in accordance with rule 33 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

6 Commutation of pension.—The Civil Service Pension (Commutation) Rules for the time being in force shall with such adaptations as may be made therein by the President apply to a person who has held office as an Election Commissioner.

7. Provident Fund.—Every person holding office as an Election Commissioner shall be entitled to the General Provident Fund (Central Services):

Provided that a person holding office as an Election Commissioner who is a member of an All-India Service or has held any other pensionable civil post under the Government shall continue to subscribe to the Provident Fund to which he was subscribing before his appointment as an Election Commissioner.

8. Other conditions of service.—Save as otherwise expressly provided in these rules, the other conditions of service of a person holding office as an Election Commissioner including his emoluments during any period of duty out of India, and his travelling allowance while travelling on duty, shall be determined by the rules for the time being applicable to an officer of the Central Government holding the rank of a Secretary to that Government:

Provided that nothing in this rule shall have effect so as to give a person who, immediately befoe the date of assuming office as an Election Commissioner was in the service of the Government, less favourable terms in respect of any of the matters aforesaid than those to which he would have been entitled as a member of the Service to which he belonged, his service as an Election Commissioner being treated for the purposes of this proviso as continuing service in the Service to which be belonged.

9. Special provision to person appointed as an Election Commissioner in casual vacancy.—

Notwithstanding anything contained in rule 3, when a person is appointed to act as an Election Commissioner in a casual vacancy in that office, the term of office of the person appointed to act in such vacancy shall be such period (not extending beyond the date on which he attains the age of sixty-five years) as may be specified in the order of his appointment and the other conditions of service of any such person, so far as may be, shall be as provided in these rules.

[A 11013/7/89-Admn. I(LD)]

सा.का.नि. 912 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 1989 है।

(2) ये 1 जनवरी, 1986 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1972 में,

(i) नियम 2 में, "तीन हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "आठ हजार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) नियम 5 के उपनियम (6) में, "चार हजार" शब्दों के स्थान पर, "आठ हजार" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. ए. 11013/7/89-प्रशा. (विवि) I]

श्री एस. रमादेवी, सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने, केन्द्रीय सरकार के विभागों और कार्यालयों में विभिन्न पदों के वेतनमानों का 1-1-1986 से पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया है। सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, जो संविधानिक प्राधिकारी है, वेतन को 1-1-1986 से पुनरीक्षित करके 8,000 रु. प्रति मास किया जाए। इसलिए नियमों के प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है।

2. प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), तारीख 10 जून, 1972 के पृष्ठ 1554 पर अधिसूचना सं० सा० का० नि. 684, तारीख 26-5-1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :

1. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1235, तारीख 30-9-1972
2. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 912(अ), तारीख 19-12-1985
3. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 339, तारीख 21-4-1989

G.S.R. 912(E).—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 324 of the Constitution, the President is pleased to make the following rules further to amend the Chief Election Commissioner's (Conditions of Service) Rules, 1972, namely:—

1. (1) These rules may be called the Chief Election Commissioner's (Conditions of Service) Second Amendment Rules, 1989.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1986.

2. In the Chief Election Commissioner's (Conditions of Service) Rules,—

(i) in rule 2, for the words "three thousand five hundred", the words "eight thousand" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (6) of rule 5, for the words "four thousand", the words "eight thousands" shall be substituted.

[No. A. 11013/7/89-Adm. I(LD)]
V.S. RAMA DEVI, Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

In pursuance of the recommendations of the Fourth Pay Commission, Government decided to revise the scales of pay of the various Posts in the Central Government Departments and offices w.e.f. 1-1-1986. Government have decided that the pay of the Chief Election Commissioner, a Constitutional authority, should be revised to Rs. 8,000/- per month with effect from 1-1-1986. Hence, it has become necessary to give retrospective effect to the proposed amendment of the rules.

2. The retrospective effect to the amendment proposed will not adversely affect the interests of any person.

NOTE: The principal rules were published vide Notification No. GSR 684, dated 26-5-1972, Gazette of India, June 10, 1972, Part II, Section 3(i), page 1554 and subsequently amended by:—

1. Notification No. GSR 1235, dt. 30-9-1972.
2. Notification No. GSR 912(E), dt. 19-12-1985
3. Notification No. GSR 339, dated 21-4-1989.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989